यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 08 / 2023
दायर दिनांक : 02 / 03 / 2023
निर्णय दिनांक : 25 / 11 / 2024

उनवान

1. कमला पुत्री नगजीराम गाडरी निवासी उसरोल

प्रार्थी

बनाम

1. रतनी पुत्री नगजीराम पत्नी वेणीराम गाडरी निवासी मुंगाना
2. नारायणी बाई पत्नि नगरजीराम गाडरी निवासी मुंगाना
3. उदी पुत्री हीरालाल पत्नि तेजा गाडरी निवासी उसरोल
4. ऐजी पुत्री हीरालाल पत्नि नगजीराम गाडरी निवासी उसरोल
5. मंगीलाल पिता गंगाराम गाडरी निवासी मुंगाना
6. शंकरी बाई पुत्री गंगाराम पत्नि माधुलाल गाडरी निवासी उसरोल
7. श्रीमान उपपंजीयक भूपालसागर
8. श्रीमान पटवारी प0ह0 उसरोल
9. श्रीमान तहसीलदार भूपालसागर
10. विनोद कुमार पिता घनश्याम अग्रवाल निवासी भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जयसवाल, वकील प्रार्थी
2. श्री शब्बीर मो0, वकील अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:08 IST
Reason: Self Attested

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त [illegible] अधिकारी [illegible] की [illegible] अराजीयात ग्राम उसरोल प0ह0 उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल खाता सं0 201 के हाल 1904 / 712 रकबा 0.12 है0 आ0न0 673 रकबा 0.35 है. आ0न0 674 रकबा 0.26 है. आ0न0 675 रकबा 0.11 है. आ0न0 676 रकबा 0.17 है. आ0न0 681 रकबा 0.15 है. आ0न0 682 रकबा 0.13 है.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

आ0न0 683 रकबा 0.05 है. आ0न0 684 रकबा 0.01 है. आ0न0 685 रकबा 0.02 है. आ0न0 686 रकबा 0.32 है. आ0न0 688 रकबा 0.07 है. आ0न0 689 है. आ0न0 691 है. आ0न0 692 रकबा 0.12 है. आ0न0 693 रकबा 0.20 है. आ0न0 710 रकबा 0.45 है. आ0न0 711 रकबा 0.48 है. कुल किता 18 कुल रकबा 3.31 है0 व हाल खाता संख्या 129 के हाल आराजी न0 677 रकबा 0.27 है0 आराजी न0 678 रकबा 0.08 है0 आराजी न0 679 रकबा 0.33 है0 आराजी न0 680 रकबा 0.18 है0 आराजी न0 690 रकबा 0.35 है0 आराजी न0 694 रकबा 0.24 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.45 है. स्थित है। व हाल खाता संख्या 131 के हाल आ.स. 698 रकबा 0.49 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.49 है0 तथा हाल खाता संख्या 132 के हाल आ0स0 1705 रकबा 0.60 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 है0 स्थित है। वजह सबूत हाल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थिया के बडे पिता भैरूलाल पिता हीरालाल ने प्रार्थिया के स्नेह, वात्सल्य एवं सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने स्वामित्व एवं हक अधिकार की खातेदारी व चल अचल संपत्ति का दिनांक 15.06.2011 को दो गवाहो के समक्ष वसीयत नामा प्रार्थिया के पिता नगजीराम पिता हीरालाल ने भी प्रार्थिया के स्नेह वात्सल्य एवं सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने स्वामित्व एवं हक अधिकारी की खातेदारी व चल अचल संपति का दिनांक 01.09.2020 को दो गवाहो के समक्ष वसीयत नामा प्रार्थिया के हक में लिखा निष्पादित करवा दिया। प्रार्थिया के वडे पिता भैरूलाल व पिता नगजीराम न प्रार्थिया के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करा देने के बाद चल अचल संपति का कब्जा प्रार्थिया को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद प्रार्थिया के बडे पिता भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 19.06.2011 एवं पिता नगजीराम की मृत्यु दिनांक 04.09.2020 को हो गई। जिनका चाल चलावा, सामाजिक कार्यक्रम बीमारी में ईलाज आदि प्रार्थिया ने ही किया। प्रार्थिया अनपढ होने के कारण एवं जानकारी अभाव में उक्त वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण नही खुलवा सकी जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भैरूलाल व नगजीराम का नामांतरणकरण विरासत से खुलवा दिया जो प्रार्थिया के हक से मृतक भैरूलाल की व नगजीराम के जीवनकाल में किए गए उक्त वसीयत नामा के मुकाबले निष्प्रभावी एवं शुन्य – नल एंड वॉईड है। अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 6 ने खाते में अपना नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 21.03.2023 से फर्दन प्रतिवादी संख्या 10 के नाम विकय पत्र निष्पादित करा विकय करा दी है। इस कारण इंद्राज दुरूस्त कर उक्त वसीयत नामें के आधार पर प्रार्थिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 रतनी के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर विरासत से नामांतरण खुलवाने के प्श्चात प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 6 तक ने अप्रार्थी संख्या 10 को विकय कर दी है और अप्रार्थी संख्या 10 अपने नाम पर विकयपत्र निष्पादित हो जोन के बाद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम अंकित करा दिया है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 10 प्रार्थीया को प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को रहन, बह, बक्शीस, विकय करने की अप्रार्थीगण ध[illegible] संख्या 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में व[illegible] आ[illegible]यात किसी अन्य व्यक्ति को रहन बह बक्शीस, वसीयत आदि नहीं करें, ऐसा [illegible] न ही स्वय [illegible] ही अपने परिवारजन, नौकर एजेंट इत्यादि से करावें तथा अप्रार्थीगण संख्या 7 प्रार्थनापत्र में [illegible] आराजीयात से संबंधित किसी दस्तावेज का पंजीयतन नही करे, अप्रार्थी संख्या 8 व 9 राजस्व [illegible]कार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है रोके जाने से अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

किसी प्रकार की हानि नही है, नही रोके जाने से प्रार्थिया को अपार क्षति होगी और भविष्य मे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थि को उक्त विवादित आराजियात के कब्जे से बेदखल करने को कहा जिस पर प्रार्थी ने विकय पत्र की नकल दिनांक 09.03.2024 को प्राप्त करने के बाद गलत इंद्राज का ज्ञान हुआ। अतः बिनाय दावा पैदा हुई। जो उक्त दिनांक से पैदा होकर निरंतर जारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा तामुल वाद निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 10 प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात को रहन, बह, बक्षीस, वसीयत एवं अन्य किसी तरीके से हस्तांरित नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 7 विवादित आराजियात से संबंधित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, व अप्रार्थी संख्या 8 व 9 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे।

वकील अप्रार्थी संख्या 10 ने जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 1 व 2 स्वीकार है। कॉलम संख्या 3 के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थिया ने जो वसीयत होना बताई है वो वसीयत प्रार्थिया ने गलत व अपने मनमाफिक लिखी है। भेरूलाल व नगजीराम ने ऐसी कोई वसीयत नही लिखी है। और मृतक दोनो व्यक्ति के और भी वारिस है व परिवार के और भी वारिस है जिनमें इनकी बहनें व लडकियां भी हैं और संपति मौरूसी है जिसमें परिवार के हर सदस्य का हिस्सा है और इन दोनों की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों ने दोनो के परिवार के सदस्यों के नाम इंतकाल ही खोला है और इनके वारिसान को अपने हक हिस्से को रहन, वह, वक्षीस, वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। इसी क्रम में सारे सह खातेदारान ने मुझ जवाब देहंदा के जरिए रजिस्टर्ड के नाम पर करवाई और तभी से मुझ जवाब देहंदा के कब्जे काश्त में है, प्रार्थिया ने उक्त कॉलम में दीगर इबारत गलत व मन मकसूद लिखी है जो अस्वीकार है। कॉलम संख्या 4 के संबध में निवेदन है कि गलत होकर अस्वीकार है क्योकि दोनो व्यक्तियों की मृत्यु के बाद प्रार्थिया ने किसी भी राजस्व कर्मचारी के सामने किसी प्रकार की वसीयत पेश नहीं की फिर जवाब देहंदा ने उक्त आराजीयात खरीद की उसके बाद प्रार्थिया ने उक्त फर्जी व मनमकसूद वसीयत तैयार कर प्रार्थनापत्र झूठा पेश किया जो स्वीकार नही है। कॉलम संख्या 5 का जवाब है कि आराजीयात दीगर अप्रार्थीगण द्वारा जबाव देहंदा को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के बिकाव की है, सही है, जवाब देहंदा के उपयोग उपभोग में हैऔर जवाब देहंदा खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार को कोई भी रहन, वह वक्शीक्ष वसीयत करने से नही रोक सकता। दीगर इबारत गलत एवं मनमकसूद होने से अस्वीकार है। कॉलम संख्या 6 व 7 गलत होने से अस्वीकार है, कालम 8, 9 का जवाब कानूनी है, कॉलम संख्या 10 में निवेदन है कि प्रार्थिया ने झूठा शपथपत्र पेश किया है। जवाब की ताईद में जवाब देहंदा का सही शपथपत्र पेश है अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का संशोधित प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन कर [illegible] प्रार्थिया सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थिया के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया [illegible] साबित नहीं कर पाए है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण [illegible]गण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा किसी प्रकार से प्रार्थिया के पक्ष में साबित नही होने से अस्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जाता है। निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:08 IST
Reason: SelfAttested